+

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–1 रामपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–472/2026

CNR No.UPRP010025152025

(पंजीयन सं०–817/2026)

शादाब पुत्र सद्दीक, निवासी–ग्राम खण्डिया थाना–अजीमनगर, जिला रामपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार।

धारा–109(1), 3(5) B.N.S.

थाना–अजीमनगर, जिला रामपुर।

अ०सं०–101/2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त शादाब की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र, शपथकर्ता साजिद ने इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि वह, प्रार्थी/अभियुक्त का पैरोकार है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो लगा है और न ही विचाराधीन है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15/04/2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 24.05.2026 से ज़िला कारागार रामपुर में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसका कथित अपराध से कोई लेना–देना नहीं है और उसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व गलत इरादों के कारण मनगढ़ंत और झूंठे तथ्यों के आधार पर इस मामले में फँसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त कानून का पालन करने वाला और शांतिप्रिय नागरिक है और उसे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। प्रार्थी/अभियुक्त की समाज में गहरी जड़ें हैं और वह एक बहुत गरीब मज़दूर परिवार से आता है। वह कभी भी असामाजिक गतिविधियों में विश्वास नहीं करता और पूरी तरह से निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसने कभी भी गाय या बैल या उनके मांस का परिवहन या बिक्री या खरीद का प्रयास नहीं किया है और न ही बीफ़ बेचने या वध करवाने के उद्देश्य से ऐसा किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर गोली नहीं चलाई गई थी, इसलिए तथाकथित मुठभेड़ में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। कथित घटना उस तरह से नहीं हुई जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, बल्कि यह बाद में सामने आई, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गलत इरादों के कारण मौजूदा प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फँसाया गया, जबकि वह पूरी तरह से निर्दोष है।

प्रस्तुत एफ०आई०आर० झूंठे और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। एफ०आई०आर० में बताए गए तथ्य मनगढ़ंत और बनावटी हैं। एफ०आई०आर० में बताए गए गवाह स्वतंत्र और भरोसेमंद नहीं हैं। शिकायतकर्ता ने घटना की जो जगह बताई है उससे पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इससे पूरे मामले पर शक पैदा होता है और जब अभियोजन पक्ष के बयान में कोई शक पैदा हो जाता है, तो उससे जुड़ी सभी कार्यवाही रद्द मानी जा सकती है। इस मामले में शिकायतकर्ता के आरोपों को साबित करने के लिए कोई भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है, क्योंकि शिकायत करने वाले के तथ्यों का समर्थन करने के लिए कोई आम नागरिक या स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। अतः जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

अभियुक्त/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वह उपरोक्त मामले में दिनांक 24/05/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपरोक्त प्रकरण में सहअभियुक्त अकील की जमानत दिनांक 26/05/2026 को न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला भी सहअभियुक्त के ही समान है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध किया और यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से आग्नेयास्त्र से फायर किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त का लम्बा आपराधिक इतिहास है और वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहेगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस पार्टी के किसी कर्मचारी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट नहीं आया है। मामला पुलिस मुठभेड़ से संबंधित है। अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं हुआ है। सहअभियुक्त के बताये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। मौके से पकड़े गये सहअभियुत अकील की जमानत दिनांक 26/05/2026 को न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त से गुरूत्तर होना अभियोजन प्रपत्र से दर्शित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त मामले में दिनांक 24/05/2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। थाने की आख्या में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित किया गया है, परन्तु किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया हो, ऐसा अभियोजन प्रपत्रों में दर्शित नहीं है। मौके से गिरफ्तार किये गये सहअभियुक्त अकील की जमानत न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई०सी०एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, रामपुर द्वारा दिनांक 26/05/2026 को स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी/अभियुक्त का मामला भी सहअभियुक्त अकील के समान ही है। अतः समानता के आधार पर समस्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों तथा को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्ति किये बिना जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतएव प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रार्थी/अभियुक्त शादाब का जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–101/2026, थाना–अजीमनगर, जिला रामपुर, धारा–109(1),3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु० 75,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाता है–

1– प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा।

2–प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नही करेगा और न ही गवाहान को भयभीत करेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा और अनाश्यक स्थगन नहीं लेगा।

दिनांक 18/06/2026

(अजय कुमार दीक्षित)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०–1 रामपुर।
J.O.Code–U.P.6153